

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
निगमित मुख्यालय

[मानव संसाधन निदेशालय]

विषय : दिनांक : 07 दिसंबर, 2012 के अनुसार पेंशन की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी ।

इस कार्यालय के दिनांक 27/09/2012 के पत्र का संदर्भ लें ।

2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (उत्तर) के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II (विधिक) द्वारा दिनांक 03 दिसंबर, 2012 के पत्र के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि उनके कार्यालय ने कर्मचारियों के वास्तविक अंशदायी वेतन के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों को देय मासिक पेंशन मामलों पर कार्रवाई शुरू कर दी है । यह माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष लंबित रिट याचिका संख्या 5991/2012 पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा ।
3. आरपीएफसी के दिनांक 03 दिसंबर, 2012 के पत्र की प्रति संलग्न है ।

--हस्ता ०--

(राजू दुरेहा)

महाप्रबंधक (मानव संसाधन)